प्रेस नोट दिनांक 19.02.2026

थाना व जनपद चन्दौली

▶️ थाना चंदौली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 टैक्सी में परिवहन किया जा रहा 32.300 किग्रा अवैध गांजा की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी/बिक्री व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक चंदौली, विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में दिनांक-19.02.2026 को थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा लीलापुर रेलवे फाटक के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की टैक्सी मझवार रेलवे स्टेशन के सामने है, जो संदिग्ध लग रही है। इसको रोककर चेक कर लिया जाए इसमें शराब होने कि सम्भावना है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा तत्काल लीलापुर ओवर ब्रिज के ऊपर पहुंच कर चेकिंग की जा रही थी, कि कुछ समय पश्चात 01 टैक्सी मौके पर आ गई जिसे रुकवा कर टैक्सी चालक व बगल में बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। दोनों की पहचान 1.नाम शशि कुमार गुप्ता पुत्र विनोद प्रसाद गुप्ता नि० जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बिहार उम्र करीब 27 वर्ष व 2.नाम शिवशंकर भगत पुत्र शतन भगन नि0 जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपाल गंज उम्र करीब 35 वर्ष के रुप में हुई। टैक्सी के उपर लगे पर्दे को हटाकर चेक किया गया तो उपर की छत में दो भाग में पार्टीशन कर भूरा रंग के टेप से लपटे कर कुल 22 पैकेटों कुल (32.300 किग्रा अवैध गांजा) बरामद किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0स0-61/2025 धारा-8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग रामपुर उडीसा से ला रहे है। जिसे गोपालगंज बजरी मोड बिहार ले जाएगें जहाँ इसे खुला बेच कर अच्छा मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.शशि कुमार गुप्ता पुत्र विनोद प्रसाद गुप्ता नि0 जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बिहार उम्र करीब 27 वर्ष
2.शिवशंकर भगत पुत्र शतन भगन नि0 जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपाल गंज उम्र करीब 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0-61/2025 धारा-8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

1.10 पैकेट छोटे व 12 बडी पैकेट (कुल 32.300 kg)
2.टैक्सी जिसका नं0 UP 50CT7347

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम –

1.प्र0नि0 विजय बहादुर सिंह थाना व जिला चन्दौली
2.उ0नि0 रावेन्द्र सिह थाना व जिला चन्दौली
3.उ0नि0 मो0 असलम थाना व जिला चन्दौली
4.का0 प्रियेश कुमार थाना व जिला चन्दौली

थाना इलिया जनपद चंदौली

◆ थाना इलिया पुलिस द्वारा वध हेतु पैदल हांककर बिहार ले जा रहे 10 राशि गोवंशों को बरामद कर 04 अन्तर्राज्यीय पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गौतस्करी व गौतस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी चकिया, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इलिया, अरुण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.02.2026 को थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर खझरा पहाडी वहद ग्राम खझरा के पास 10 राशि गोवंशो को पैदल हांककर वध हेतु बिहार ले जा रहे 04 शातिर अन्तर्राज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1.दशरथ राम पुत्र स्व0 लालू राम ढेडुआ थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 58 वर्ष 2. संजय पाण्डेय पुत्र संकठा पाण्डेय ग्राम ढेडुआ थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 45 वर्ष 3. मारकण्डेय धोबी पुत्र सदीक निवासी ग्राम ढेडुआ थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 50 वर्ष 4.दूलारे पासवान पुत्र रामगती पासवान नि0 भरारी थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 40 वर्ष के रुप में हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 3(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.दशरथ राम पुत्र स्व0 लालू राम ढेडुआ थाना चाँद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 58 वर्ष
2.संजय पाण्डेय पुत्र संकठा पाण्डेय ग्राम ढेडुआ थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 45 वर्ष
3.मारकण्डेय धोबी पुत्र सदीक निवासी ग्राम ढेडुआ थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 50 वर्ष 4.दूलारे पासवान पुत्र रामगती पासवान नि0 भरारी थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 11/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 3(5) बीएनएस थाना इलिया जनपद चन्दौली थाना इलिया जनपद चन्दौली (नोट- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्र की जा रही है।)

विवरण बरामदगी-

1.10 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 गिरीश बल्लभ शुक्ल थाना इलिया जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 रवीन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
4.हे0का0 हरिकिशुन प्रजापति थाना इलिया जनपद चन्दौली।
5.हे0का0 कल्लन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।
6.का0 दुर्गविजय वर्मा थाना इलिया जनपद चन्दौली ।

थाना व जनपद चंदौली

🔷 थाना चन्दौली व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में 50,000 रुपए इनामिया वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, श्री अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) एवं क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चंदौली, विजय बहादुर सिंह व प्र0नि0 रामजनम यादव स्वाट टीम चन्दौली के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.02.2026 को कोतवाली चन्दौली पुलिस व स्वाट टीम द्वारा मु0अ0सं0-181/2024 धारा-3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना सैयदराजा व 50,000 रुपए इनामिया अभियुक्त 1.सुनील यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ककरमत्ता भट्ठा पर थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी औसत उम्र करीब 25 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर वहद ग्राम ककरमत्ता भट्ठा पर थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के पर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा मु0 50000/- रुपये का इनामिया घोषित किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता–

1.सुनील यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ककरमत्ता भट्ठा पर थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी औसत उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-181/2024 धारा-3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1.प्र0नि0 विजय बहादुर सिंह थाना व जिला चन्दौली
2.प्र0नि0 रामजनम यादव स्वाट टीम चन्दौली
3.हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट टीम चन्दौली
4.हे0का0 अरविन्द भारद्वाज स्वाट टीम चन्दौली
5हे0का0 बीजेन्द्र सिंह स्वाट टीम चन्दौली
6हे0का0 रामानन्द यादव स्वाट टीम चन्दौली
7.हे0का0 आशुतोष सिंह, स्वाट टीम चन्दौली
8.का0 अरविन्द कुमार-2 थाना व जिला चन्दौली
9.का0 संजय पटेल थाना व जिला चन्दौली